रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 277
No. 32] DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934 [N.C.T.D. No. 277

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सं. एफ. 3(14)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/डीएस VI/164.—दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमति/कु.	कार्यभार की तिथि	पदनाम
1	दिनेश चन्दर दोभाल	01-01-2013	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2	प्रवीन कुमार सिन्हा	01-01-2013	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3	संजय कुमार	01-01-2013	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4	पी. एल. मीना	03-01-2013	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th February, 2013

No. F. 3(14)/Fin.(Rev.-I)/2012-13/ds VI/164.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S. No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining in DT and T	Appointed as
1	Dinesh Chander Dobhal	01-01-2013	Assistant Value Added Tax Officer
2	Pravin Kumar Sinha	01-01-2013	Assistant Value Added Tax Officer
3	Sanjay Kumar	01-01-2013	Assistant Value Added Tax Officer
4	P. L. Meena	03-01-2013	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सं. फा. आईआईआईटीडी/नए परिनियम/56/2011/274.—इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा 2(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल, इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा अध्यापकों तथा शैक्षिक स्टाफ का वार्षिक कार्य मूल्यांकन, पदोन्नति और कार्यकाल/पदावधि से संबंधित निम्नलिखित परिनियम बनाते हैं ।

(1) **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—इस परिनियम को इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिनियम 33 कहा जा सकेगा । यह शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा ।

परिभाषा.—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस परिनियम में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम में उन्हें प्रदान किये गए अर्थ होंगे ।

33 अध्यापकों और शैक्षिक स्टाफ का वार्षिक कार्य मूल्यांकन पदोन्नति एवं कार्यकाल.—(1) किसी संस्थान के अध्यापक के मुख्य दायित्वों में शोध, अध्यापन और संस्थान की और वृत्ति की सेवा करना आते हैं ।

2. उत्तरदायित्व के तीन क्षेत्रों में प्रत्येक संस्थान के अध्यापकों के योगदानों का मूल्यांकन नियमित रूप से निदेशक द्वारा गठित किसी समिति द्वारा किया जाएगा । कार्य मूल्यांकन के परिणाम और कितनी बार हो, ये अध्यादेश में यथापरिभाषित होंगे;

3. संस्थान के अध्यापक के कार्य मूल्यांकन के आधार पर अधिक या कम वेतनवृद्धि दी जा सकेगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अधिक/कम प्रोत्साहन दिये जा सकेंगे ।

4. किसी संस्थान को अध्यापक की पदावधि पर आधारित नियुक्ति सामान्यत: पांच या सात वर्ष की प्रारम्भिक संविदा पर होगी, यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी । किसी पदावधि आधारित नियुक्ति पर किसी संस्थान के अध्यापक के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाएगा, जो प्रारम्भिक संविदा अवधि के अन्तिम वर्ष के बाद में नहीं होगा ।

5. कोई संस्थान अध्यापक प्रारम्भिक संविदा अवधि की और अपने कार्यकाल के मूल्यांकन में सदृश विलम्ब के लिये दो वर्ष तक बढ़ोतरी कराने के लिये सकारण अनुरोध कर सकता/सकती है । इस अनुरोध का प्रत्येक मामले के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

6. कार्यकाल तथा पदोन्नति के लिये विचार किये जाने का मानदंड अध्यादेश में यथापरिभाषित के अनुसार होगा ।

7. कार्यकाल के मूल्यांकन हेतु उसके द्वारा पी एच डी प्राप्त करने से लेकर पूरी अवधि के लिये तीन क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में उसके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा । कार्यकाल मूल्यांकन की प्रक्रिया अध्यादेशों में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

8. कार्यकाल मूल्यांकन के आधार पर किसी संस्थान अध्यापक का कार्यकाल तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा (अर्थात् उसे सेवानिवृत्ति तक संविदा दी जा सकेगी) जिसके दौरान उसके कार्यकाल का पुन: मूल्यांकन किया जा सकेगा अथवा आगे संविदा प्रदान नहीं की जा सकेगी । परिणामत: प्रारम्भिक संविदा अवधि व्यतीत होने पर संस्थान से रोजगार समाप्त किया जाएगा ।

9. सहयोगी तथा पूर्ण प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता मानदंड और इन पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया अध्यादेश में विनिर्दिष्ट होगी ।

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi the 20th February, 2013

F. No. IIITD/New Statutes/56/2011/274 .—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) (d) of Section 18 read with Section 22 and 23 of the Indraprastha Institute of Information Technology Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Board of Governors, of the IIIT, Delhi with the prior approval of the Chancellor, hereby makes the following Statute, relating to Yearly review, promotion and tenure for Teacheres and Academic Staff.

(1) **Short title and commencement.**— This Statute may be called Indraprastha Institute of Information Technology Delhi Statute 33. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.—Words and expressions used in this statute shall have the meaning assigned to them in the Act and the First Statutes, unless the context otherwise requires.

33 Yearly review, promotion and tenure for Teachers and Academic Staff.—(1) An Institute Teacher's primary responsibilities are : Research, Teaching and Service to the Institute and to the Profession.

2. A review of contributions of each Institute Teacher in the three responsibility areas will be done regularly by a Committee constituted by the Director. The outcome of review and the frequency of review will be as defined in the Ordinance.

3. Based on the outcome of the review, the Institute Teacher may be given a higher or lower increment and may be provided with higher/lower incentives, as per policy approved by the Board.

4. An Institute Teacher on tenure-track-appointment will normally be given an initial contract for five or seven years, which may be extended. An Institute teacher on a tenure-track appointment will be evaluated for tenure no later than the last year of the initial contract period.

5. An Institute Teacher may request for, with reasons for the same, up to two-year extension of the initial contract period and a corresponding delay in his/her tenure evaluation. This request will be evaluated on a case to case basis.

6. The eligibility criteria for being considered for a tenure and promotion will be as defined in the ordinances.

7. For tenure evaluation, the performance in each of three areas will be evaluated for the entire duration since his/her obtaining Ph.D. The process for tenure evaluation will be as specified in ordinances.

8. Based on tenure evaluation, an Institute Teacher may be granted tenure (i.e. he/she may be given a contract till superannuation), may be given and extension of up to three years within which he/she may be evaluated again for a tenure, or may not be granted a further contract resulting in termination of employment at the Institute at the expiry of the initial contract period.

9. The eligibility criteria for promotion to Associate and Full Professor positions and the process for promotion to these positions will be specified in ordinances.

अध्यादेश

इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

सं. फा. आईआईआईटीडी/अध्या./57/2011/275.—आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 24 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (2)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रथम परिनियम के खंड 16 के उप-खंड (3) के अनुसार निदेशक, प्रबंध मंडल के पूर्व अनुमोदन से अध्यापकों और शैक्षिक स्टाफ का वार्षिक कार्य मूल्यांकन, पदोन्नति और कार्यकाल के लिये निम्नलिखित अध्यादेश (नौवां अध्यादेश) बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इस अध्यादेश को आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली "नौवां अध्यादेश" कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा ।

परिभाषाएं.—(3) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अध्यादेश में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम एवं परिनियमों में उन्हें सौंपे गये अर्थ होंगे । पद "अध्यापक तथा शैक्षिक स्टाफ" अथवा "संस्थान अध्यापक" का अर्थ प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता है ।

2. अध्यादेश सं. 9 का समावेशन: आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली प्रथम अध्यादेश संख्या 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्यादेश "अध्यापकों एवं शैक्षिक स्टाफ" का वार्षिक कार्य मूल्यांकन, की पदोन्नति और कार्यकाल).—(1) अध्यापकों के उत्तरदायित्वों में,—पाठ्यक्रमों का अध्यापन, विद्यार्थियों को उनकी परियोजनाओं शोध-पत्रों के संबंध में मार्गदर्शन करने, नए पाठ्यक्रमों का अभिकल्पन, अध्यापन—पढ़ाई प्रक्रिया में सुधार हेतु पहल करना, नोट और पाठ्य पुस्तक विकसित करना, प्रयोगशालाओं का निर्माण करने आदि सम्मिलित हैं । उपयुक्त उपाय जिनमें पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि (फीड बैक) को अध्यापन योगदान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये प्रयोग किया जा सकेगा ।

2. शोध के योगदान में अधिकतर वैज्ञानिक प्रकाशनों और विकसित और समर्पित या प्रसारित प्रविधियों और आविष्कारों से प्रतिबिम्बित होते हैं । समर्थित परियोजनाओं और पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से प्रतिबिम्बित होते हैं । शोध योगदानों की गुणवत्ता और प्रभावों का मूल्यांकन करने के उपाय जैसे पत्रिका/सम्मेलन की गुणवत्ता और कोटिकरण, उद्धरणों के महत्व और पहचान, डाउन लोड/प्रौद्योगिकी या विकसित उपकरण का प्रयोग, पुरस्कार और सम्मान समर्थित परियोजनाओं की संख्या और महत्व, पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उनकी गुणवत्ता आदि प्रयुक्त किए जाएंगे ।

3. सेवा में संस्थान की सेवा सम्मिलित है (अर्थात् समितियों में सेवा करना, उत्तरदायी पद संभालना) तथा प्राध्यापक का पद संभालना तथा समुदाय में सेवा करना (अर्थात् सम्मेलनों के कार्यक्रमों में तथा अन्य समिति में सेवा करना, पत्रिकाओं के संपादकीय मंडलों में सेवा करना, समितियों, सलाहकार बोर्डों में सेवा करना, परामर्शदात्री सेवा करना आदि) ।

4. प्रतिवर्ष एक बार नियमित कार्य मूल्यांकन किया जाएगा । यह सहयोगी और पूर्ण प्राध्यापक के लिये घटाकर दो वर्ष या तीन वर्ष की जा सकेगी ।

5. मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी संस्थान के अध्यापक के कार्य प्रदर्शन का कार्य मूल्यांकन किया जाएगा । कुछ स्तरों में उत्तरदायित्व के तीन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिये होगा, इनमें मुख्य उत्कृष्ट, उत्तम, औसत, औसत से नीचे है ।

6. कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त कोटि के आधार पर संस्थान के किसी अध्यापक को मानक वेतनवृद्धियों से अधिक या कम के लिये विचार किया जा सकेगा तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अधिक या कम प्रोत्साहन दिया जा सकेगा ।

7. संस्थान के किसी अध्यापक का अध्यापन कार्यभार बढ़/घट सकेगा यह शोध तथा सेवा में उसके योगदान संबंधी कार्य मूल्यांकन के आधार पर होगा ।

8. संस्थान का कोई भी अध्यापक पीएचडी करने के बाद छह वर्ष होने के बाद किसी भी समय के कार्यकाल के लिये कार्य मूल्यांकन के लिये आवेदन कर सकता है । यह सीमा असाधारण मामले के लिये शिथिलनीय हो सकेगी ।

9. कार्यकाल प्रदान करने की नीति: किसी संकाय सदस्य का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा यदि संकाय सदस्य का शोध के क्षेत्र में कार्य-प्रदर्शन उत्तम या उत्कृष्ट कोटि का है और कार्य मूल्यांकन अवधि में अध्यापन उत्तम या उत्कृष्ट कोटि का है । सेवा में कम से कम कार्य-प्रदर्शन औसत होने की आशा की जाती है और उन मामलों के लिये विचारणीय हो सकते हैं, जो सीमा रेखा पर पड़ते हैं ।

10. कार्यकाल के मूल्यांकन की प्रक्रिया में देश के अन्दर और बाहर के विशेषज्ञों से प्राप्त श्लाघा-पत्र शामिल होते हैं जिसमें कुछ संस्थान के अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से होंगे । संस्थान के अध्यापक के पत्रों और योगदानों पर आधारित निदेशक द्वारा गठित कोई समिति विभिन्न स्तरों पर (उत्कृष्ट, उत्तम, औसत, औसत से कम) के तीन क्षेत्रों में कार्यप्रदर्शन का श्रेणीकृत करेगी और इस पर आधारित कार्यकाल और पदोन्नति संबंधी अपनी संस्तुतियां करेगी । संस्थान के अध्यापक के चयन के लिये सांवधिक चयन समिति के समक्ष समिति की संस्तुतियां प्रस्तुत की जायेगी, जो अन्तिम संस्तुति प्रस्तुत करेगी ।

11. कार्यकाल मूल्यांकन प्रक्रिया की अन्तिम संस्तुती में निम्नलिखित एक होगी :—

(क) संकाय सदस्य ने शोध तथा अध्यापन के क्षेत्र में उत्तम या उत्कृष्ट कार्य-प्रदर्शन प्रदर्शित किया है और उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) संकाय सदस्य ने शोध तथा अध्यापन के क्षेत्र में पूर्णत: उत्तम (या उत्कृष्ट) कार्य-प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं किया है लेकिन संभावना प्रदर्शित की है और कार्य प्रदर्शन सुधारने के लिये तीन वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा और वह कार्यकाल बढ़ोतरी के लिये बाद में मांग करे (यह विकल्प लागू नहीं होगा यदि कार्यकाल में बढ़ोतरी पहले ही प्रदान की गई है अर्थात् कार्यकाल बढ़ोतरी केवल एक बार ही होगी) ।

(ग) संकाय सदस्य किसी शोध आधारित शैक्षिक कैरियर के लिये उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है और उसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए अर्थात् उसे दूसरी बार संविदा नहीं दी जा सकेगी ।

12. सहयोगी प्राध्यापक के पद के लिये विचारार्थ अपेक्षित न्यूनतम अनुभव बोर्ड द्वारा यथानिर्णित होगा । जो विशिष्ट प्रत्याशियों के लिये शिथिलनीय हो सकेगा ।

13. सामान्यत: कार्यकाल बढ़ोतरी प्राप्त करने वाले किसी सहायक प्राध्यापक को सहयोगी प्राध्यापक की रैंक में पदोन्नति भी किया जाएगा । पदोन्नति के लिये संस्तुति भी चयन समिति द्वारा की जाएगी, जो कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर विचार करती है ।

14. पूर्ण प्राध्यापक के पद के विचारार्थ अपेक्षित न्यूनतम अनुभव बोर्ड द्वारा यथानिर्णित होगा जो विशिष्ट प्रत्याशियों के लिये शिथिलनीय हो सकेगा ।

15. पूर्ण प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये मूल्यांकन की प्रक्रिया कार्यकाल बढ़ाने के समान होगी । (अर्थात् श्लाघा पत्र मांगा जाएगा और तत्पश्चात् व्यापक मूल्यांकन पर आधारित संस्तुति की जाएगी) । सांविधिक चयन समिति की संस्तुती पर आधारित पूर्ण प्राध्यापक के पद पर अन्तिम चयन होगा ।

16. यदि पूर्ण प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये किसी संकाय सदस्य का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है, तो सामान्यत: पूर्ण प्राध्यापक के लिये पुन: विचारार्थ कम से कम दो वर्ष का अन्तराल अपेक्षित होगा ।

ए. के. गुप्ता, उप-निदेशक (सचिवालय शाखा)

ORDINANCES

Indraprastha Institute of Information Technology

No. F. IIITD/Ordinances/57/2011/275.—In exercise of powers conferred by sub-section (2)(d) of Section 18 read with sub-section (2) of Section 24 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology) Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008) and in accordance with sub-clause (3) of Clause 16 of the First Statutes, the Director with the prior approval of the Board of Governors hereby makes the Ordinance (9th Ordinance) for yearly review, promotion and tenure for teachers and academic staff as following, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) This Ordinance may be called the IIIT (Indraprastha Institute of Information and Technology) Delhi "9th Ordinance"

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

(3) **Definition.**—Words and expressions used in this Ordinance shall have the meaning assigned to them in the Act and the Statutes, unless the context otherwise requires. The terms "Teachers and Academic Staff" or "Institute Teachers" mean Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Lecturers.

2. Insertion of Ordinance No. 09: In the IIIT (Indraprastha Institute of Information and Technology Delhi first ordinance after Ordinance No. 08, the following ordinance "Yearly review, promotion and tenure for "Teachers and Academic Staff ".—1. Teaching responsibility includes teaching courses, guiding students for their projects and thesis, designated new courses, taking initiatives to improve the teaching-learning process, developing notes and text books, building labs, etc. Suitable measures, including student feedback in courses, may be used to assess the quality of teaching contributions.

2. Contributions in research are largely reflected by Scientific publications, technologies and innovations developed and delivered or deployed. Sponsored projects and PHD students graduated. For assessing the quality and impact of research contributions, measures like journal/conference quality and ranking, citation counts and indices, downloads/ usage of technology or tool developed, award and recognition, number and value of sponsored projects, number of Ph.D. students graduated and their quality, etc. may be used.

3. Service includes service to the Institute (e.g. serving on committees, taking on responsible positions) as well as to the Professor and Community (e.g. serving on programme and other committee for conferences, serving on editorial boards of journals, serving on committees, advisory boards, consultancy etc.).

4. The frequency of regular review will be yearly. It may be reduced for Associate and Full Professor to two or three years.

5. The review report will rate the performance of an Institute Teacher in each of the three responsibilities area in

some levels, main ones being : Excellent, Good, Average, below average.

6. Based on the performance rating obtained, an Institute teacher may be considered for a higher or lower than "Standard" increments, and may be provided with higher or lower incentives, as per policy approved by the Board.

7. The teaching load of an Institute Teacher may be increased/decreased depending on the outcome of the review of his/her contributions in research and service.

8. An Institute Teacher may apply for being evaluated for tenure at any point after completing six years after Ph.D. This limit may be relaxed for exceptional cases.

9. Policy for granting tenure is : A faculty member may be granted tenure if the performance of the faculty member is ranked as good or excellent in research and good or excellent in teaching in his/her tenure review. The performance in service is expected to be at least average and may be considered for cases that fall on the borderline.

10. The process for tenure evaluation will include getting letters from experts from within and outside the country, some of which will be from the list provided by the Institute Teacher. Based on the letters and the contributions of the Institute Teacher, a committee constituted by the Director will categorize the performance in the three areas in different levels (excellent, good, average, below average) and based on this make its recommendations about tenure and promotion. The recommendations of the committee will be put to the statutory selection committee for Institute Teacher selection, which will make the final recommendation.

11. The final recommendation of the tenure evaluation process will be one of the following :—

(a) The faculty member has demonstrated good or excellent performance in research and teaching and may be granted tenure.

(b) The faculty member has not fully demonstrated good (or excellent) performance in research and teaching, but has demonstrated potential and may be granted an extension period of up to three years to improve the performance and seek tenure again later. (This option will not be applicable if an extension has already been granted i.e. the extension can only be granted once.)

(c) The faculty member does not seem to be well suited for a research—led academic career and should not be granted tenure i.e. he may not be offered another contract.

12. The minimum experience required for consideration for the post of Associate Professor Positions will be as decided by the Board, which may be relaxed for exceptional candidates.

13. Normally, an Assistant Professor being granted tenure will also be promoted to the rank of Associate Professor Recommendation for the promotion will also be made by the Selection Committee which considers the case for tenure.

14. The minimum experience required for consideration for the post of Full Professor position will be as decided by the Board, which may be relaxed for exceptional candidates.

15. For promotion to Full Professor, the process for evaluation will be similar to the tenure process (i.e. letters will be sought and then based on a comprenensive evaluation recommendation will be made.) Final selection to the Full Professor position will be based on the recommendation of the statutory Selection Committee.

16. If a faculty member's application for promotion to Full Professor is declined, normally a minimum gap of two years is required for consideration for full Professor again".

A. K. GUPTA, Dy. Director (Sectt. Branch)

माप एवं तोल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सं. फा. 8/18/एमडब्ल्यू/विधि/98/पार्ट-IV/3114.—दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमावली का निम्नलिखित प्रारूप, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श के पश्चात् दिल्ली विधिक माप पद्धति अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम सं. 1) की धारा 2 के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित करते हैं, यह इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों के साथ-साथ जनता को इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त

होने के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां तथा सुझाव सचिव (विधिक माप पद्धति), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, माप एवं तोल विभाग, कमरा सं. 117-118, सी-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002 को भेजे जाने चाहिए ।

प्रारूप नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) संशोधन, नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

3. अनुसूची IX का संशोधन.—दिल्ली विधिक माप पद्धति (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 की अनुसूची IX में,—

(i) क्रम संख्या 6 पर मद में, शीर्षक में "उपकरण" शब्द के पश्चात् "(धर्मकांटा रहित)" शब्दों तथा कोष्ठक को सन्निविष्ट किया जायेगा ।

(ii) क्रम संख्या 7 पर मद में, शीर्षक में "उपकरण" शब्द के पश्चात् "(धर्मकांटा रहित)" शब्दों तथा कोष्ठक को सन्निविष्ट किया जायेगा ।

(iii) क्रम संख्या 7 के पश्चात् निम्नलिखित मद सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"7-क.—धर्मकांटा के लिये सत्यापन शुल्क—गैर-स्वचालित तोलनयंत्र—मैकेनिकल (तुल्यरूप) एवं इलैक्ट्रॉनिक श्रेणी-III तथा IV

400 टन	6000.00
300 टन	5000.00
200 टन	5000.00
150 टन	4000.00
100 टन	4000.00
80 टन	4000.00
60 टन	4000.00
50 टन	4000.00
40 टन	4000.00
30 टन	4000.00
25 टन	4000.00
20 टन	4000.00
15 टन	4000.00
10 टन	1500.00
5 टन	1000.00
3 टन	800.00
2 टन	800.00
1.5 टन	800.00
1 टन	800.00

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. कुमारस्वामी, सचिव, विधिक माप पद्धति

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi the 20th February, 2013

No. F. 8/18/MWM/Legal/98/Part-IV/3114.—The following draft of Rules further to amend the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 which the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make, after previous consultation with the Central Government, and in exercise of the powers conferred by Section 53 read with clause (q) of Section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (No. 1 of 2010), is hereby published for the information of the persons likely to be affected thereby, and a notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public, together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto, by the stipulated period.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary (Legal Metrology), Government of National Capital Territory of Delhi, Weights and Measures Department, Room No. 117-118, C-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002 :—

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Schedule IX.**—In the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, in Schedule IX,—

(i) In the item at Sr. No. 6, in the heading, after the word "Instruments", the words and bracket "(excluding weighbridges)" shall be inserted;

(ii) In the item at Sr. No. 7, in the heading, after the word "Instruments", the words and bracket "(excluding weighbridges)" shall be inserted;

(iii) after the item No. 7, the following item shall be inserted, namely :—

"7-A. Verification fee for weighbridge—Non-automatic weighing instruments—Mechanical (analogue) and Electronic Class-III and IV :

400 t	6000.00
300 t	5000.00
200 t	5000.00
150 t	4000.00
100 t	4000.00
80 t	4000.00
60 t	4000.00
50 t	4000.00
40 t	4000.00
30 t	4000.00
25 t	4000.00
20 t	4000.00
15 t	4000.00
10 t	1500.00
5 t	1000.00
3 t	800.00
2 t	800.00
1.5 t	800.00
1 t	800.00

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

S. KUMARASWAMY, Secy., Legal Metrology

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.